हिंदी सिनेमा में बढ़ती अश्लीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. गजेन्द्र प्रताप सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
जनसंचार विभाग
गलगोटिया विश्वविद्यालय

प्रस्तावना

मीडिया का काम समाज में सूचनाओं को प्रेषित करना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना होता है। सूचनाओं को प्रेषित करने तथा शिक्षित करने तक तो बात ठीक लगती है अपितु, मनोरंजन करना भी कुछ मायनों में उचित प्रतीत होता है। लेकिन यदि मनोरंजन का माध्यम समाज में अश्लीलता को फैलाना या उसको बढ़ाना देना हो तो बात गले से नीचे नहीं उतरती। चाहे हम हो या आप। मैं बात कर रहा हूं जिसने अभी-अभी अपने जीवन के लगभग 100 सालों का सफर तय किया है, मनोरंजन के सटीक और सूचारू माध्यम फिल्मों की। जिसमें समय के साथ परिपक्वता आ चुकी है। क्योंकि फिल्म मनोरजंन के साथ-साथ हमारे देश को संस्कृति सभ्यता और नए युग को प्रदर्शित करने का काम भी करती है। फिल्म ही एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए लोग हर एक चीज से प्रभावित होते हैं। वैसे हमारे देश में फिल्मों को लेकर सभी वर्गों में एक विशेष उत्साह देखने को मिलता है। मनोरंजन से भरी फिल्म को देखने के लिए सभी वर्गों के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि हमारे देश के हर एक राज्य में फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है।

यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भारतीय फिल्में अपने आरंभ काल से ही हमारे समाज का आईना रही हैं। जो समाज में हो रही गतिविधियों को समय-समय पर रेखाकिंत करती आई हैं। वैसे तो सभी जानते है कि भारतीय जगत में फिल्में बनाने का संपूर्ण श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है, जिन्होंने सन् 1913 में 'राजा हरिश्चन्द्र' फिल्म बनाकर फिल्मों का सूत्रपात किया और भारतीय सिनेमा को जन्म दिया। हालांकि दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित 'राजा हरिश्चन्द्र' मूक फिल्म थी फिर भी दर्शकों ने इसको बहुत पसंद किया। उसके बाद अर्देशियर ईरानी द्वारा सन् 1931 में पहली बोलती फिल्म 'आलमआरा' का निर्माण किया जिससे फिल्मी जगत में नई क्रांति उदय हुआ।

वैसे कहा जाए तो सिनेमा को जनसंपर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम कहा जाता है। सिनेमा मनोरंजन एवं विचारशीलता के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। कोई भी दर्शक जब फिल्म देखने जाता है तो उस फिल्म के विषय में उसकी अवश्य ही कोई न कोई राय होती है। फिल्म की कहानी, तकनीकी, अभिनय आदि विषयों पर वह विचार करता है। साहित्य की भांति फिल्म भी विभिन्न कालखंड़ों को प्रतिबिबिंत करती है। जिस प्रकार साहित्य में अतीत, वर्तमान एवं भविष्य

के कितने ही संकेत कथावस्तु के माध्यम से बताएं जाते हैं, उसी प्रकार सिनेमा भी अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के कितने ही संकेत कथावस्तु को दर्शाता है। कला की कोई भी विधा समाज की आशा, आकांक्षा, असंतोष एवं विडंबना व्यक्त करती है जो समाज में इस समय घट रही होती है। जैसा तत्कालीन समाज होता है। सिनेमा भी उसी समय की कथावस्तु एवं दृश्यों को दर्शाता है। किंतु यह कहना गलत नहीं होगा कि सिनेमा सम सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, जबकि यह दोषपूर्ण है। हालांकि बहुत-सी फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि दिखाएं जाने वाले दृश्य हमारे देश की संस्कृति से मेल खाते हैं। कहानी में कल्पना होती है लेकिन कल्पना का भी कोई न कोई आधार होना चाहिए। परंतु आजकल की फिल्मों को यदि हम गंभीरता से देखें तो पाएंगे कि अधिकांश फिल्में ऐसी हैं जो हमारी संस्कृति का हिस्सा हो ही नहीं सकती। दरअसल फिल्में पैसा कमाने का एक घटिया माध्यम बनती जा रही हैं। फिल्मों में अधिक-से-अधिक ''ग्लैमर'' पर बल दिया जाना प्रारंभ हो गया है। इस ग्लैमरता के नाम पर नग्नता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

शोध का उद्देश्य-

1.हिंदी सिनेमा में अश्लीलता को पारिभाषित करना।

2.वर्तमान संदर्भ में हिंदी सिनेमा द्वारा संस्कृति का विश्लेषण करना।

3.हिंदी सिनेमा में नारी छवि की प्रस्तुति का अध्ययन करना।

शोध की उपकल्पना-

1.हिंदी सिनेमा में अश्लीलता अपने चरम पर दिखाई देने लगी है।

2.हिंदी सिनेमा भारतीय संस्कृति का हनन कर रहा है।

3.हिंदी सिनेमा में नारी छवि को कामुक बना कर पेश किया जाना लगा है।

शोध प्रविधि-

- निदर्शन प्रविधि- उद्देश्यपरक निदर्शन प्रविधि का प्रयोग कर 200 लोगों का शोध अध्ययन हेतु चयनित किया गया।
- प्रश्नावली प्रविधि- डेटा संकलन हेतु प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग किया गया है।
- अवलोकन प्रविधि- डेटा संकलन हेतु अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

शोध सीमा-

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत केवल ऑन लाइन 200 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी आयु 15 से 45 वर्ष तक है। बाकि लोगों को इससे इतर रखा गया है।

उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तर का विश्लेषण-

आज के दौर में सर्वाधिक फिल्म कैसी बन रही हैं?

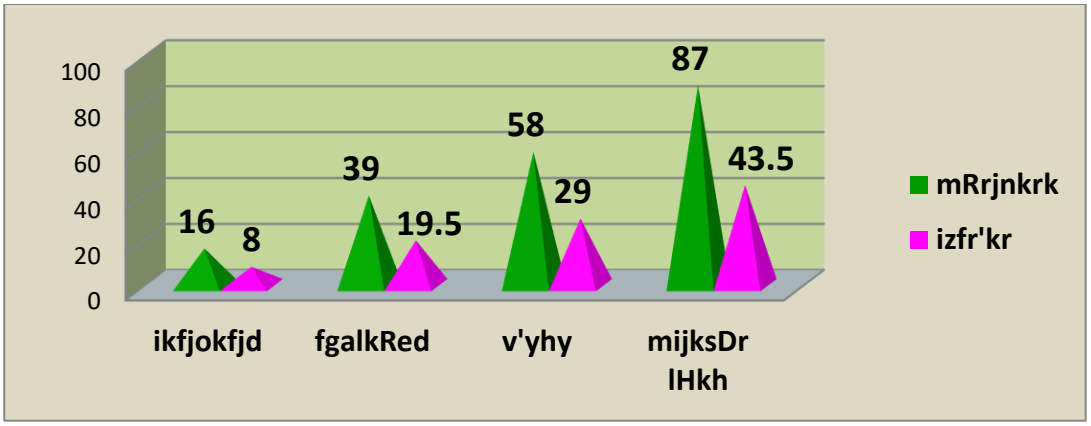

उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट होता है कि 200 उत्तरदाताओं में से 16 (8 प्रतिशत) ने कहा कि आज के दौर में पारिवारिक फिल्म बन रही है, जबकि 39 उत्तरदाताओं (19.5 प्रतिशत) ने कहा कि हिंसात्मक। और 58 उत्तरदाताओं (29 प्रतिशत) ने अपना मत अश्लील के पक्ष में दिया। वहीं 87 उत्तरदाताओं (43.5 प्रतिशत) ने तीनों के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत किए। अतः आंकड़ों से ज्ञात होता है कि हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक अश्लील फिल्में पर जोर दिया जाने लगा है।

वर्तमान समय में क्या हिंदी सिनेमा में अश्लीलता बढ़ रही है?

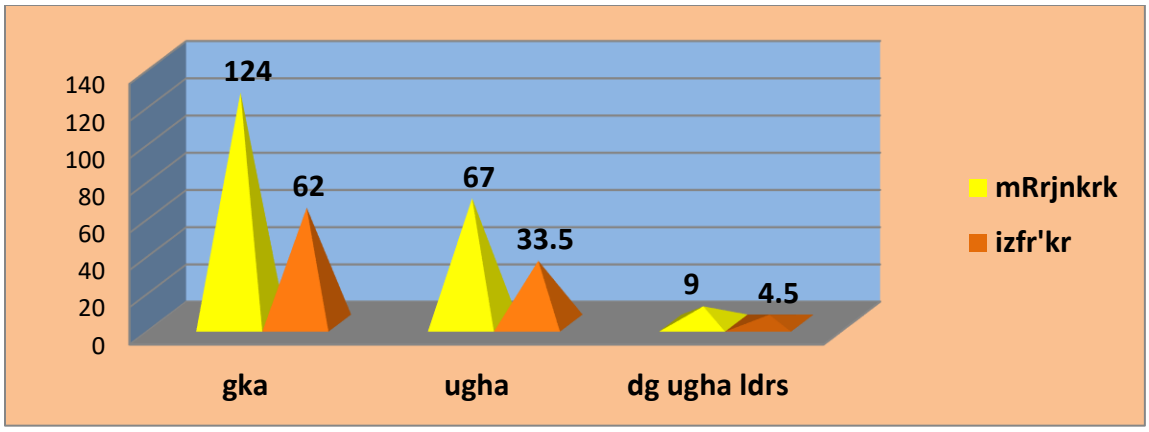

उपरोक्त ग्राफ से यह ज्ञात होता है 200 उत्तरदाताओं में से 124 (62 प्रतिशत) ने माना कि वर्तमान समय में हिंदी सिनेमा में अश्लीलता बढ़ी है, जबकि 67 उत्तरदाताओं (33.5 प्रतिशत) ने इस बात को खारिज किया कि हिंदी सिनेमा में अश्लीलता बढ़ रही है। वहीं 9 उत्तरदाताओं (4.5 प्रतिशत) ने इस प्रश्न के संदर्भ में न तो पक्ष में और न ही विपक्ष में अपना मत दिया। अतः आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में हिंदी सिनेमा में अश्लीलता बढ़ रही है।

हिंदी सिनेमा में नारी छवि को किस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है?

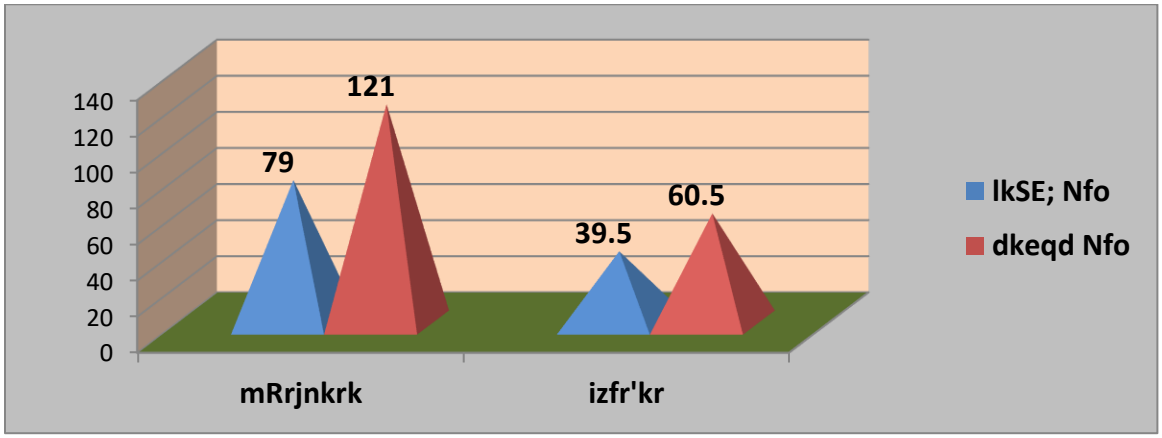

उपरोक्त ग्राफ से यह प्रदर्शित करता है कि 200 उत्तरदाताओं में से 79 (39.5 प्रतिशत) ने अपना मत दिया कि हिंदी सिनेमा में नारी छवि को सौम्य छवि के रूप में दिखाया जाता है। वहीं 121 उत्तरदाताओं (60.5 प्रतिशत) ने कहा कि हिंदी सिनेमा में नारी छवि को कामुम छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अतः आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक नारी छवि का कामुक बना कर दिखाया जाता है।

क्या हिंदी सिनेमा भारतीय संस्कृति का हनन कर रहा है?

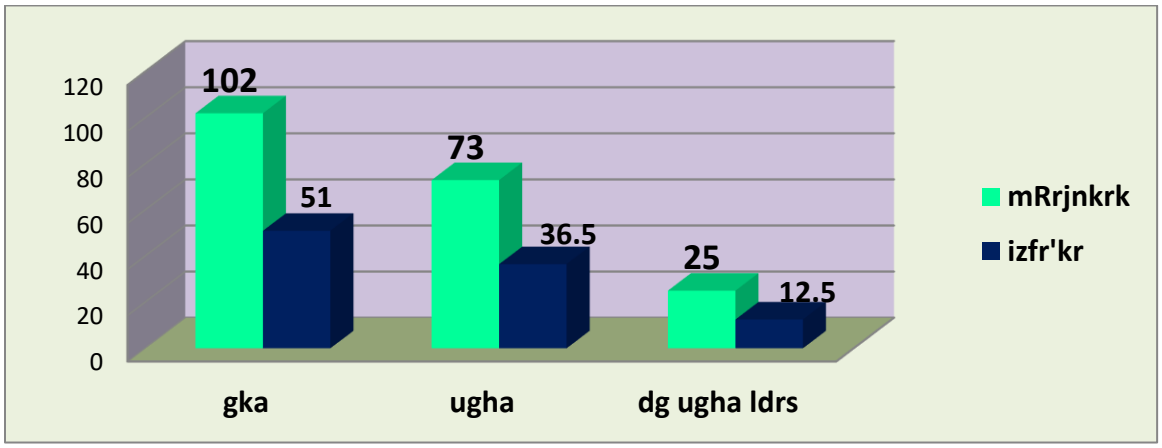

उपरोक्त ग्राफ से यह ज्ञात होता है कि 200 उत्तरदाताओं में से 102 (51 प्रतिशत) ने अपना मत इस संदर्भ में दिया कि हिंदी सिनेमा भारतीय संस्कृति का हनन कर रहा है, जबकि 73 उत्तरदाताओं (36.5 प्रतिशत) ने कहा कि नहीं हिंदी सिनेमा भारतीय संस्कृति का हनन नहीं कर रहा है। वहीं 25 उत्तरदाताओं (12.5 प्रतिशत) ने कह नहीं सकते के पक्ष में अपने विचार दिए। अतः आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि हिंदी सिनेमा भारतीय संस्कृति का हनन कर रहा है।

क्या वर्तमान हिंदी सिनेमा स्त्री अशिष्ट चित्रण संबंधी कानून का उल्लघंन कर रहा है?

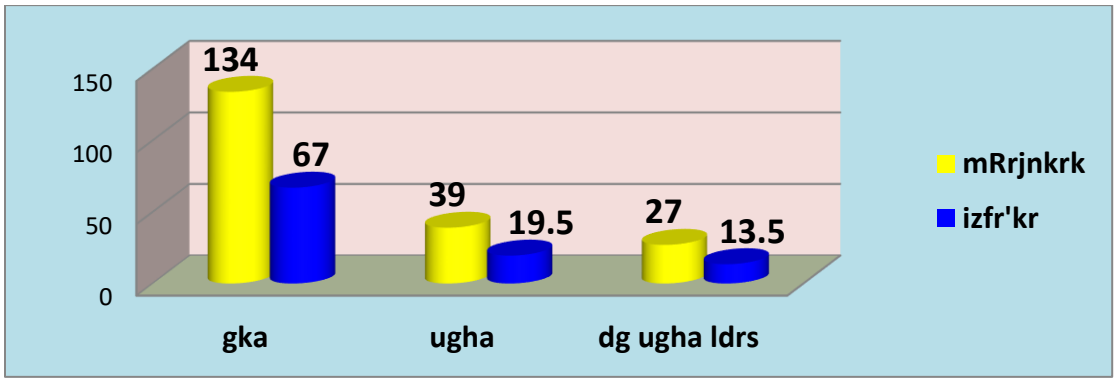

उपरोक्त ग्राफ से यह ज्ञात होता है 200 उत्तरदाताओं में से 134 (67 प्रतिशत) ने माना कि वर्तमान हिंदी सिनेमा स्त्री अशिष्ट चित्रण संबंधी कानून का उल्लघंन कर रहा है, जबकि 39 उत्तरदाताओं (19.5 प्रतिशत) ने नहीं के पक्ष में अपना मत दिया। वहीं 27 उत्तरदाताओं (13.5 प्रतिशत) ने इस प्रश्न के संदर्भ में न तो पक्ष में और न ही विपक्ष में अपना मत दिया। अतः आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्तमान हिंदी सिनेमा स्त्री अशिष्ट चित्रण संबंधी कानून का उल्लघंन कर रहा है।

निष्कर्ष

यह सच है कि सिनेमा मनोरंजन का साधन है किंतु इस मनोरंजन की भविष्य में हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इस विषय में भी सोचना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यद्यपि बहुत-सी फिल्मों में राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण होता है। यह सच है कि जब यथार्थ को कथा के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसमें थोड़ी अतिशयोक्ति तो हो ही जाती है, किंतु अतिशयोक्ति की भी कोई सीमा होनी चाहिए ? यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो फिल्मों के माध्यम से एक प्रकार का साहित्य ही समाज को दर्शा रहा है। वैसे सचमुच भारत इतना निकृष्ट हो चुका है कि वहां आज उपजी अपनी परंपराओं का कोई नैतिक मूल्य नहीं रह गया ?

हालांकि सिनेमा का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज पर प्रभाव डालने की क्षमता जितनी सिनेमा में है और किसी विधा में नहीं है। पहले समय में पौराणिक कथाओं को लेकर फिल्में बनती थीं जिन्हें देखकर दर्शकों के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। मन में भक्ति भाव जाग्रित होता था। पौराणिक फिल्मों के अतिरिक्त ऐतिहासिक एवं सामाजिक फिल्में बहुतायत से बनती थीं इसीलिए इन फिल्मों का दर्शकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था, किंतु आज दो ही प्रकार की फिल्में बनती हैं। यथार्थ के नाम पर समाज की गंदगी की या फिर हास्य एवं विनोद वाली, जिनमें आवश्यकता से अधिक अश्लीलता होती है। हां, यह अवश्य है कि दिन-प्रतिदिन तकनीकी दृष्टि से उच्च कोटि की फिल्में बनने लगी हैं। तकनीकी प्रगति के साथ-साथ यदि अच्छे साहित्य पर आधारित फिल्में बनाई जाएं तो उसका दर्शकों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर यह कहे कि पहले बनने वाली फिल्में सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारि होती थी जिनका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। वहीं 21वीं सदी के आते ही इस मनोरंजन के माध्यम ने नई विधा को अपने में समाहित कर लिया है। और इस नई विधा के परिणामस्वरूप बहुत-सी ऐसी फिल्मों का निमार्ण किया जाने लगा। जिन्हें देखकर ऐसा कदापि नहीं लगता कि दिखाए जाने वाले दृश्य हमारे देश की संस्कृति से सरोकार रखते हो। क्योंकि यह फिल्में अब मनोरंजन के साथ-साथ अश्लीलता परोसने का काम भी करने लगी हैं। रंग चुकी हैं उसी रंग में, अश्लीलता के रंग में।

अभी हाल ही में निर्मित कुछ फिल्मों की बात करें तो डर्टी फिक्चर, जिस्म 2, मर्डर 2, सिक्सटीन, बीए पास, नशा आदि इस क्रम में पहले और बाद में और भी फिल्में हैं। इन फिल्मों में चुंबन के दृश्य तो आम बात हो गई है। इसके साथ-साथ इन फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा एक दूसरे के वस्त्रों को उतारते हुए तथा महिला अंतःवस्त्रों को पुरुष के हाथों में साफ तौर पर दिखाया जाना, साथ-साथ कामकलाओं, संभोग की क्रियाओं को प्रदर्शित करते हुए दिखाना अब चलन बन चुका है। बिस्तर पर चादर में लिपटी नारी देह, खुला बदन, नंगी पीठ, कूल्हों और उभारों को प्रदर्शित करती, संभोग क्रिया और उत्तेजनात्मक आवाजों को निकालती हुई क्या कहें ऐसी फिल्मों को। साथ-ही-साथ इन फिल्मों में गानों के नाम पर भी फूहड़ता

और अश्लीलता परोसने का काम किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश गानों में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे- लाईन मार ले बाबा, लाईन मार ले, चोली के पीछे क्या है???, भाग डी के भोस, डी के भाग, शीला की जवानी, और किसी के हाथ न आनी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बीड़ी जलाइले जीगर से पिया, जीगर मा बड़ी आग है, पल्लू के पीछे छिपा के रखा है दिखा दूं तो हंगामा हो, चिपकाले संइया फैविकॉल से, कुंडी मत खटकाओं राजा और भी इसी क्रम में गानों का प्रयोग आजकल हिंदी सिनेमा में होने लगा है। इस संदर्भ में कहें तो सिर्फ ए (व्यस्कों के लिए) लिखने भर से क्या काम चल जाएगा ? क्या इस तरह की फिल्मों को बनाकर समाज में अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा ? समाज और कानून को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इस विषय पर कानून के संदर्भ में बात की जाए तो समाज में अश्लीलता फैलाना भी संगीन गुनाह की श्रेणी में आता है। अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र या फिल्मों को दिखाना, वितरित करना और इससे किसी प्रकार का लाभ कमाना या लाभ में किसी प्रकार की कोई भागीदारी कानून की नजर में अपराध है और ऐसे अपराध पर आईपीसी की धारा 292 लगाई जाती है। इसके दायरे में वे लोग भी आते हैं जो अश्लील सामग्री को बेचते हैं या जिन लोगों के पास से अश्लील सामग्री बरामद होती है। अगर कोई पहली बार आईपीसी की धारा 292 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की कैद और 2 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार या फिर बार-बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद और 5 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने या अश्लील गाना गाने पर आईपीसी की धारा 292 लगाई जाती है। इस मामले में गुनाह अगर साबित हो जाए तो तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

हालांकि वर्तमान परिदृश्य में फिल्मों द्वारा भारतीय दंड संहिता की ये धाराएं और कानून का एक प्रकार से मजाक बनाकर दिन प्रतिदिन उल्लघंन किया जा रहा है। मुझे लगता है यह धाराएं सिर्फ पढ़ने और सुनने तक ही सीमित लगती है। शायद ही इनकों अमल में लाया जाता हो। अगर वास्वत में यह धाराएं कारगर सिद्ध होती, तो फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, सिनेमाघरों के मालिकों के साथ-साथ देखने वाले दर्शकों को भी सजा हो चुकी होती। क्योंकि धाराओं में साफ तौर पर इंगित किया गया है कि अश्लील फिल्मों को दिखाना, वितरित करना, लाभ कमाना और उसका निर्माण करना कानून की भारतीय दंड संहिता की धाराएं 292, 294 में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके बावजूद भी सभी कानूनों को तांक पर रखते हुए परोसते रहते है अश्लीलता।

ऑन लाइन 200 लोगों द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों से संदर्भ यह निष्कर्ष ज्ञात होता है कि 29 प्रतिशत तक अश्लील व 43.5 प्रतिशत तक उपरोक्त सभी संदर्भों में हिंदी सिनेमा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फिल्म बनाने लगा है। जिस कारण से 62 प्रतिशत तक हिंदी सिनेमा में अश्लीलता बढ़ी है। क्योंकि 60.5 प्रतिशत तक हिंदी सिनेमा में नारी छवि को कामुम छवि

के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। इस वजह से 51 प्रतिशत हिंदी सिनेमा भारतीय संस्कृति का हनन कर रहा है। और इस कारण हिंदी सिनेमा 67 प्रतिशत तक वर्तमान हिंदी सिनेमा स्त्री अशिष्ट चित्रण संबंधी कानून का उल्लघंन हो रहा है। जो किसी मायने में उचित प्रतीत नहीं होता।

अगर देखा जाए तो फिल्मों की सकारात्मक गुणवत्ता में इतनी तेजी से गिरावट आई है। उसकी सबसे बड़ी वजह है हर दिन फिल्म का निर्माण। जिसे देखों वह फिल्म बनाता है चाहे उस फिल्म को बनाने का उद्देश्य है या नहीं, लेकिन धन कमाने के लिए उससे अच्छा व्यवसाय नहीं नजर आता। फिल्मों में यदि कलात्मकता नहीं होगी, सशक्ता नहीं होगी, अच्छा अभिनय नहीं होगा तो वे फिल्में दर्शकों के किस काम की। आज हर फिल्म में हिंसा, बलात्कार एवं घटिया-स्तर का हास्य दर्शाया जाता है। फिल्में देखने के बाद इसका प्रभाव मन पर रहता ही नहीं। लेकिन युवाओं के मन पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से अंकित होता है। अतः फिल्में जो समाज को कुछ देने का एक मजबूत माध्यम हैं उन्हें अच्छा साहित्य, संगीत, अच्छे गीत दर्शकों को देने का प्रयास करना चाहिए। यदि अच्छी फिल्में बनेंगी तो निश्चित रूप से समाज पर उनका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ

1.श्रीकांत सिंह, जनमाध्यमः कानून एवं उत्तरदायित्व, सत्यम पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली-2006
2.विनोद तिवारी, फिल्मी पत्रकारिता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली-2007
3.बी.वी. कुमार, चिन्तन-सृजन, आस्था भारती, दिल्ली-अप्रैल-जून-2010
4.सुधीश पचैरी, साइबरस्पस और मीडिया, प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली-2003
5.ब्रजेश्वर मदान, सिनेमा नया सिनेमा, पुस्कायन, नई दिल्ली-1990
6.डॉ. श्यामानन्द झां, जनसंचार एवं पत्रकारिता, रमेश पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली-2010
7.रामकृष्ण, सिने संसार और पत्रकारिता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-2006
8. http://www.gajendra-shani.blogspot.com
9. http://www.thesundayindian.com/hi/story/future-of-hindi-films/7/16797/
10. http://www.hindinest.com/drishtikone/filmsociety.htm
11-http://www.mediakhabar.com/television/news-channel/2648-prabhu-chawla-tikhi-baat-on-ibn7.html